राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.1(2)वित्त(नियम)/2014 पार्ट जयपुर, दिनांक : 14 FEB 2022

आदेश

विषयः Rajasthan State Pensioners Medical Concession Scheme, 2014 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में मेडिकल डायरी जारी नहीं होने पर भी चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के संबंध में।

Rajasthan State Pensioners Medical Concession Scheme, 2021 के पैरा 16(2) में यह प्रावधान है कि वित्त (नियम) विभाग के मेमोरेण्डम क्रमांक प.1(4)वित्त/नियम/2021 दिनांक 15–4–2021 से पूर्व के लम्बित प्रकरणों तथा जिन मामलों में उपचार दिनांक 15–4–2021 से पूर्व हुआ है, का निस्तारण Rajasthan State Pensioners Medical Concession Scheme, 2014 (Scheme, 2014) के प्रावधान अनुसार किया जायेगा।

Rajasthan State Pensioners Medical Concession Scheme, 2014 के पैरा 7 के Exception में यह प्रावधान है कि यदि उसी वित्तीय वर्ष में मेडिकल डायरी जारी होने से पूर्व यदि Indoor / specialized treatment लिया जाता है तो ही Scheme, 2014 के प्रावधान अनुसार पुनर्भरण देय होगा।

वित्त विभाग को इस प्रकार के प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं जिसमें जिस वित्तीय वर्ष में Indoor / specialized treatment कराया हो, उसी वित्तीय वर्ष में मेडिकल डायरी जारी नहीं कराई गई अथवा Rajasthan Government Health Scheme / Rajasthan State Pensioners Medical Concession Scheme, 2021 लागू होने के उपरान्त आर.जी.एच.एस. कार्ड जारी होने से दिनांक 1–10–2021 से नई मेडिकल डायरी जारी नहीं की गई।

इस प्रकार के प्रकरणों में पेंशनरों के चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण आ रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए Rajasthan State Pensioners Medical Concession Scheme, 2014 के पैरा 7 के Exception में शिथिलन प्रदान कर उपचार के वित्तीय वर्ष में ही मेडिकल डायरी जारी कराने की अनिवार्यता को हटाते हुए बिना मेडिकल डायरी के भी चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण Scheme, 2014 के प्रावधान अनुसार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति दिनांक 30–9–2021 तक के लम्बित Indoor / specialized treatment के चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के दावों पर ही लागू होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुधीर कुमार शर्मा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप – 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
11. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
15. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

14/2/22

(एस.ज़ेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(RSR 8 / 2022)